UPAZ050007692022 **Succession/1600089/2022**

न्यायालय सिविल जज (सी०डि०), आजमगढ़।

मुतफर्का सक्सेशन संख्या-89/2022

कन्हैया लाल आदि.....सायलान

दिनांक- 09.03.2024

पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई।

सायलान के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

सायलान के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र 4 ग 2 पर सुना।

सायलान कन्हैया लाल आदि ने मृतक रामप्रसाद पुत्र कुमार की जमा धनराशियाँ, जिनका विवरण प्रार्थनापत्र 4 ग 2 के पैरा (6) में दिया गया है, की प्राप्ति हेतु धारा 372 भाग 10 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम संख्या 39 सन् 1925 के अन्तर्गत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र हेतु प्रार्थनापत्र 4 ग 2 मय शपथपत्र प्रस्तुत किया है।

सायलान ने प्रलेखीय साक्ष्य के तौर पर मृत्यु प्रमाण पत्र रामप्रसाद 31 ग 2, कैलाशी देवी 32 ग 2, सम्बन्ध प्रमाण पत्र 34 ग 2, परिवार रजिस्टर की नकल 35 ग 2, पैसे का बावत आख्या 20 ग 2 मूलप्रति पत्रावली पर उपलब्ध हैं।

मौखिक साक्ष्य में सायल कन्हैया ने स्वयं का शपथपत्र 25 ग 2 एवं सम्बन्धित ग्राम प्रधान आरती का शपथपत्र 29 ग 2 पत्रावली पर दाखिल है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

नोटिस जरिये मुनादी व प्रकाशन कराया गया। किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी है।

पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजीय साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक रामप्रसाद पुत्र कुमार की मृत्यु दिनांक 11.03.2019 को हो चुकी है। मृतक की मृत्यु के उपरान्त उसके परिवार में उसके पुत्रगण कन्हैया लाल, मोहन लाल, पुत्रीगण अनारी देवी, उर्मिला देवी विद्यमान हैं। यही सायलान मृतक के निकटतम विधिक उत्तराधिकारी है।

पत्रावली पर उपलब्ध धनराशि प्रपत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थनापत्र 4 ग 2 के पैरा नं० (6) में वर्णित धनराशि मृतका के नाम से सम्बन्धित मद में जमा है। सायलान मृतक के निकटतम विधिक उत्तराधिकारी है। अतः सायलान मृतक की जमा धनराशियाँ को प्राप्त करने के हकदार हैं।

सायल मोहनलाल ने शपथपत्र 26 ग 2, सायला अनारी देवी ने शपथपत्र 27 ग 2, सायला उर्मिला देवी ने शपथपत्र 28 ग 2 के माध्यम से स्वयं के हिस्से की धनराशि को सायल संख्या 01 कन्हैया लाल के पक्ष में परित्याग कर दिया है।

अतः उक्त तथ्य को देखते हुए सम्पूर्ण धनराशि के बावत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र सायल संख्या 01 कन्हैया लाल के पक्ष में निर्गत किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र 4ग2 स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

तदानुसार प्रार्थनापत्र 4ग2 स्वीकार किया जाता है।

सम्पूर्ण धनराशियाँ के बावत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र सायल संख्या 01 कन्हैया लाल के पक्ष में निर्गत किया जाये।

सायल संख्या 01 कन्हैया लाल इस आशय की फोटोयुक्त अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करें कि यदि किसी न्यायालय अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त धनराशियाँयों, जिनके बावत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी किया जा रहा है, के बारे में अन्य कोई आदेश पारित किया जाता है या अन्य किसी का हक स्वीकार किया जाता है, तो उसे अदा की गयी धनराशियाँ, उक्त आदेश के अधीन होगी तथा समस्त धनराशियाँ, न्यायालय में जमा कर देगे तथा यदि उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी होने के पूर्व सक्षम न्यायालय उस धनराशियाँयों, के परिप्रेक्ष्य में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, प्रोवेट अथवा लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जारी कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा इस आदेश के क्रम में जारी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र विधि मान्य नहीं होगा।

मुन्सरिम अपनी आख्या न्यायशुल्क के बावत प्रस्तुत करें।

न्यायशुल्क के बावत आवश्यक पैरवी अविलम्ब की जाये।

आवश्यक कार्यवाही के बाद पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(अनीता II)

सिविल जज (सी०डि०),

आजमगढ़।